



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2604]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2016/कार्तिक 11, 1938

No. 2604]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2016/KARTIKA 11, 1938

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3356(अ).—सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम निधि नामक निधि स्थापित करती है जिसका उपयोग विशिष्ट रूप से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यों के लिए किया जाएगा।

[फा. सं. 2/3(1)/2016-एमएसएमई नीति]

सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, अपर सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2016

S.O. 3356(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby establishes a fund to be called the Micro Small and Medium Enterprises Fund to be utilised exclusively for the measures specified in sub-section (1) of section 9 of the said Act.

[F. No. 2/3(1)/2016-MSME Policy]

SURENDRA NATH TRIPATHI, Addl. Secy.